...य इनिशियल्स जज

पत्रावली पेश हुई वकील अपीलार्थी
उपस्थित आदेश सुनाने [illegible]
6-9-19 को पेश हो।

| | |
|---|---|
| 6-9-19 | पत्रावली पेश हुई अपीलार्थी व अपीलार्थी के अधिवक्ता उपस्थित आदेश सुनाया गया। अपील अपीलार्थी स्वीकार किया जाकर नामान्तरण सं. 403 दिनांक 1-10-2014 अपास्त किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। |

[illegible]
उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी जिला बून्दी

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लाखेरी (बून्दी)

अपील संख्या 1/2018 | पीठासीन अधिकारी

दायरा दिनांक :– 14.08.2018 | गोरधनलाल मीना (RAS)

**बउनवान**

1. राजेन्द्र आत्मज मोहनलाल जाति माली निवासी ग्राम बेलनगंज तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी

– अपीलांट –

**बनाम**

1. मोहनलाल आत्मज मथुरालाल जाति माली निवासी ग्राम बेलनगंज तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी (राज.)
2. शंकरलाल आत्मज मथुरालाल जाति माली निवासी ग्राम बेलनगंज तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी (राज.)
3. सुवालाल आत्मज मथुरालाल जाति माली निवासी ग्राम बेलनगंज तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी (राज.)
4. राजन्ती बाई पुत्री मथुरालाल जाति माली निवासी ग्राम बेलनगंज तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी (राज.)
5. कमला बाई पुत्री मथुरालाल जाति माली निवासी ग्राम बेलनगंज तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी (राज.)
6. ग्यारसी बाई बेवा मथुरालाल जाति माली निवासी ग्राम बेलनगंज तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी (राज.)
7. राजस्थान राज्य द्वारा तहसीलदार साहब इन्द्रगढ जिला बून्दी (राज.)

– रेस्पोडेन्टस –

अपील अन्तर्गत धारा – 75 एल.आर.एक्ट.

## –: निर्णय :–

दिनांक :– 06.09.2019

यह अपील माननीय न्यायालय जिला कलक्टर महोदय बून्दी के आदेश दिनांक 04.06.2018 परिपत्र दिनांक 19.11.1984 गजट नोटिफिकेशन दिनांक 01.12.1983 के अनुसरण में ग्राम पंचायत द्वारा पारित नामान्तकरण आदेश के विरूद्व अपील सुनने का अधिकार उपखण्ड अधिकारी को होने से पत्रांक 1305/रीडर/2018 दिनांक 18.06.2018 से स्थान्तरित होकर अग्रिम सुनवाई हेतु इस न्यायालय को प्राप्ति अपील दर्ज रजिस्टर की गई। अपील माननीय न्यायालय जिला कलक्टर महोदय बून्दी के न्यायालय में बहस की स्टेज पर विचाराधीन थी। इस कारण अपील अपीलान्ट की विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है। खाता संख्या नया 63 पुराना 128 की कृषि भूमि खसरा संख्या 34 रकबा 1.09 हैक्टर, खसरा संख्या 40

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी जिला बून्दी

Scanned by CamScanner

रकबा 1.17 हैक्टर, खसरा संख्या 158 रकबा 0.02 हैक्टर, खसरा संख्या 159 रकबा 0.21 हैक्टर, खसरा संख्या 166 रकबा 0.27 हैक्टर, खसरा संख्या 222 रकबा 0.27 हैक्टर, खसरा संख्या 551 रकबा 1.49 हैक्टर, खसरा संख्या 629 रकबा 2.43 हैक्टर कुल किता 8 कुल रकबा 5.95 हैक्टर जमाबन्दी सम्वत 2069–2072 ग्राम बेलनगंज तहसील इन्द्रगढ में स्थित है। जिसका मूल खातेदार मृतक मथुरालाल आत्मज भूरा माली था। जिसका स्वर्गवास 26.08.2014 को हो चुका है। जिसके स्थान पर विरासत अनुरूप दिनांक 01.10.2014 को नामान्तकरण संख्या 403 रेस्पोडेन्टस 1 लगायत 6 के पक्ष में तस्दीक कर दिया गया। जबकि अपील विषयक आराजी मथुरालाल के द्वारा बसाई गई थी। जिसमें से खसरा नं0 629 रकबा 2.43 हैक्टर वाके ग्राम बेलनगंज की वसीयत दिनांक 19.03.2010 को अपीलान्ट के पक्ष मे जर्ये रजिस्टर्ड वसीयत करवाई गई थी। लेकिन ग्राम पंचायत व राजस्व कर्मचारियों द्वारा कोई जांच पडताल नही की गई। न ही अपीलान्ट को सुना गया।

माननीय जिला कलक्टर महोदय बून्दी के न्यायालय में अपील विचाराधीन रहने के दौरान रेस्पोडेन्टस के विरुद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई थी। इस कारण अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी एक पक्षीय बहस में अपील मेमो को दौहराते हुये कथन किया कि अपील विषयक आराजी स्वअर्जित सम्पत्ति थी। और मथुरालाल ने खसरा नम्बर 629 रकबा 2.43 हैक्टर वाके ग्राम बेलनगंज की रजिस्टर्ड वसीयत अपीलान्ट के पक्ष में की गई थी। जिसके आधार पर अपीलान्ट खातेदार कृषक बन चुका था। लेकिन अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा नही सुना गया। और अन्त में प्रार्थना की गई कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की जावें।

हमारे द्वारा अपीलान्ट की एक पक्षीय बहस अधीनस्थ न्यायालय के रिकार्ड एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। नामान्तकरण संख्या 403 के अवलोकन से स्पष्ट है कि इस नामान्तकरण को तस्दीक किये जाने से पूर्व ग्राम पंचायत व राजस्व कर्मचारियों द्वारा अपीलान्ट को कोई नोटिस जारी नही किया जाना प्रतीत होता है। जबकि मथुरालाल द्वारा की गई रजिस्टर्ड वसीयत के आधार पर खसरा नम्बर 629 रकबा 2.43 हैक्टर वाके ग्राम बेलनगंज के सम्बन्ध हितबद्व है। जिसको सुना जाना अतिआवश्यक था। इस प्रकार नामान्तकरण संख्या 403 नैसर्गिक न्याय के सिद्वान्तों को नजरअन्दाज किया गया। जो पूर्णतया अवैधानिक होना उचित प्रतीत होता है।

अतः अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर नामान्तकरण संख्या 403 दिनांक 01.10.2014 वाके ग्राम बेलनगंज तहसील इन्द्रगढ को अपास्त किया जाता है। तथा पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित की जाती है कि वह अपीलान्ट को जर्ये नोटिस तलब कर समुचित अवसर प्रदान करते हुये मथुरालाल के द्वारा निष्पादित की गई रजिस्टर्ड वसीयत का विधिवत अवलोकन करते हुये अपील विषयक आराजी बाबत विधिवत रूप से नामान्तकरण

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी जिला बून्दी

Scanned by CamScanner

तस्दीक करने की कार्यवाही सम्पादित करें। मूल नामान्तकरण संख्या 403 की प्रति लौटाई जावें।

निर्णय लिखवाया जाकर आज दिनांक 06.09.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी जिला बून्दी
उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

Scanned by CamScanner